जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :

कुलसचिव,

जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर



ग्राम यूनीवर्सियी

0091-(0751) 2442801

(कार्यालय)

2442462 (निवास)

फैक्स (0091-0751-2341768

jiwajidcdc@gmail.com

Website:

http://www.jiwaji.edu/

दिनांक : 22-07-2020

क्रमांकः एफ/सम्बद्धता/2020/6453

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा २६ (i) (v) एवं २४ (xii) के अन्तर्गत स्थाई समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2020 की अनुशंसा उपरांत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09 मई 2020 के पद क्रमांक (01) के निर्णयानुसार **INSTITUTE OF** TECHNOLOGY & MANAGEMENT, SITHOULI, GWALIOR को सत्र 2020-21 के लिये अस्थाई 'सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

| INSTITUTE OF | M.B.A. | 60 |
|--------------|--------|----|
| TECHNOLOGY & | | |
| MANAGEMENT, | | |
| SITHOULI, | | |
| GWALIOR | | |

आदेशानुसार

कुलसचिव

- परिनियम 28(17) के अन्तर्गत शेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।
- उक्त कार्यवाही ३० दिसम्बर २०२० तक पूर्ण करें, अन्यथा सत्र २०२१-२२ की सम्बद्धता प्रदान की जाना सम्भव नहीं होगा।
- शिक्षकों को वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाये।
- परिनियम 27 की कंडिका (2) के अनुसार जिन महाविद्यालय को प्रारंम्भ हुए 6 साल हो चुके है। उन्हें N.B.A. से एक्रिडिएशन कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर सत्र 2021-22 के लिए संम्बद्धता प्रकरण पर विचार नहीं किया जायेगा।
- परिनियम 28(17) के अन्तर्गत नियुक्ति शिक्षकों की जानकारी (यू.जी.सी. के नियमानुसार) आगामी सत्र में निरीक्षण प्रोफार्मा के साथ दिये गये प्रोफार्मा में मय चयन समिति की अनुशंसा के साथ एवं मैनेजमेंन्ट द्वारा नियुक्ति शिक्षकों की जानकारी पृथक प्रोफार्मा में भर कर प्रस्तुत करनी होगी तभी महाविद्यालय को आगामी सत्र की अस्थायी सम्बद्धता पर विचार किया जावेगा।

प्रति,

1.प्राचार्य, <u>INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMEN</u> , <u>SITHOULI,</u> <u>GWALIOR</u>

- 2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- 3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोतीमहल परिसर, ग्वालियर
- 4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- 5. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

डायरेक्टर,

महाविद्यालयीन विकास परिषद्